



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार 9 सितम्बर, 2016 / 18 भाद्रपद, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अगस्त, 2016

संख्या: आयु0-क-(3)-2/2014.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में, **आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III** (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियाँ.**—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या आयु0—क (3)—5/97 पार्ट—1 तारीख 20—9—2013 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (आयुर्वेद)।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट।
2. **पद (पदों) की संख्या.**—1178 (एक हजार एक सौ अठहतर)
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग—III (अराजपत्रित)
4. **वेतनमान.**—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.—पे बैंड : 5910—20200 रुपए+3000/— रुपए ग्रेड पे।
(ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियाँ.—स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 8,910/—रुपए प्रतिमास।
5. **‘चयन’ पद अथवा ‘अचयन’ पद.**—अचयन।
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो, वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हताएं.—(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो या इसके समतुल्य।

(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्था/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में कम से कम दो वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो/फारमैसी (आयुर्वेद) में डिप्लोमा हो/फारमैसी (आयुर्वेद) में स्नातक की उपाधि।

(ख) वांछनीय अर्हता.—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(ए) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :

आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं.—हां, जैसी उपर्युक्त स्तम्भ संख्या: 7(क) में विहित हैं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(I) सीधी भर्ती.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाचरित के आधार पर, अधिवर्षिता और आमेदन के पश्चात् पुनः नियोजन के आधार पर नियुक्ति की दशा में, कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

II. प्रोन्नति.—(क) एक ग्रेड (श्रेणी) से दूसरे ग्रेड (श्रेणी), किन्तु पदों की उसी श्रेणी में प्रोन्नति की दशा में, कोई परिवीक्षा नहीं होगी:

(ख) एक समूह से दूसरे समूह में प्रोन्नति की दशा में, दो वर्ष या पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परीक्षा अवधि, यदि कोई है।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—(i) सतानवें प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

(ii) तीन प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैन्ट स्थानान्तरण किया जाएगा.—(i) दो प्रतिशत प्रशिक्षित दाईयों/वर्ग-IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उपर्युक्त स्तम्भ संख्या: 7 (क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यधीन, उक्त शैक्षिक अर्हता को अर्जित करने के पश्चात् पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र प्रशिक्षित दाईयों और वर्ग-IV कर्मचारियों की उनके अपने अपने ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर उनकी कार्डर वार वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी:

(ii) एक प्रतिशत सहायक परिचारिका दाई, (ए.एन.एमज) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उपर्युक्त स्तम्भ संख्या: 7 (क) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता धारण करने के अध्यधीन, उक्त शैक्षिक अर्हता को अर्जित करने के पश्चात् तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु यह और कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पदों को भरने हेतु निम्न 100 बिन्दू पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:—

रोस्टर बिन्दू संख्या	प्रवर्ग
पहला, तथा सौवां	प्रवर्ग (i)
पंचासवां	प्रवर्ग (ii)
दूसरे से उन्चासवें (49) तक इक्यावनवे से नयानवे (99) तक ।	सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी : जब भी दी गई प्रतिशतता के अनुसार समस्त प्रवर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है तो रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त होता है।

क (1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक क (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र में, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तुक क (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक क(I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ भलोना और सांगना पटवार वृत्त, और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पटवारवृत्त पद्धर तहसील के झारवाड़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़, और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुनी, कालीपार, मानगढ़, थाच बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने — अपने प्रवर्ग/पद /कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सिज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्वीसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्वीसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तिगत परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो पूर्व में ली गई छटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तिगत परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्वधीन की जाएंगी:—

(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीनकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.—निदेशक, आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:—संविदा के आधार पर नियुक्त आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, को 8,910/—रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्पूर्वी वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 267/— रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:—निदेशक, आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या, यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-‘ख’ के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें:—(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 8,910/—रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 267/—रुपए (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतासिल दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी

को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ. आर.—एस. आर., छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—“ख”

आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, आयुर्वेद के माध्यम से, निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री
निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है)
और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक आयुर्वेद, (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त “प्रथम पक्षकार” को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के रूप में से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत/विस्तारित किया जाएगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8,910/-रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतासिल दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय, किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/ आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहा भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो, वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ/जी0पी0एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.
.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.
.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-A(3)-2/2014, dated 22-8-2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd August, 2016

No. Ayur-A(3)-2/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 to the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with HP Public Service

Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Ayurvedic Pharmacist, Class-III** (Non-Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per Annexure- 'A' attached to this notification, namely:—

1. Short title & commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Ayurveda, Ayurvedic Pharmacist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Ayurveda, Ayurvedic Pharmacist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2013 notified vide this Department's Notification No.Ayur-Ka (3)-5/97-Part-I dated: 20-9-2013 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Ayurveda).

Annexure-‘A’

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Ayurvedic Pharmacist (Non-Gazetted) Class-III, in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh.

- 1. Name of Post.**—Ayurvedic Pharmacist.
- 2. Number of Post(s).**—1178 (One Thousand One Hundred Seventy Eight).
- 3. Classification.**—Class-III (Non Gazetted).
- 4. Scale of Pay.**—(i) **Pay Scale for regular incumbents.**—Pay Band ₹ 5910-20200+ ₹3000/- Grade Pay.
- (ii) **Emoluments for contract employees.**— ₹ 8,910/- as per details given in column 15-A.
- 5. Whether “Selection” post or “Non-Selection” post.**—Non-Selection.
- 6. Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years.

Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he /she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/ were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s).—(i) Plus two or its equivalent from recognized Board of School Education/University.

(ii) Successful training of atleast two years duration in Ayurvedic Pharmacist/Diploma in Pharmacy (Ayurveda)/ Bachelor Degree in Pharmacy (Ayurveda) from an Institution duly recognized by the H.P. Takniki Shiksha Board/ University recognized by the H.P. Government.

(b) *Desirable Qualification(s).*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—Age.—Not applicable.

Educational Qualification.—Yes as prescribed in Column No.7(a) above.

9. Period of probation, if any.—(i) *Direct recruitment.*—(a) Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

(ii) *Promotion.*—(a) No probation in case of promotion from one grade to another but within same class of posts.

(b) Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post (s) to be filled in by various methods.—(i) 97% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 03% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—(i) 02% by promotion from amongst the trained Dai & Class-IV officials subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No.7(a) above with five years regular service or regular combined with continuous *ad hoc*, if any, in the grade after acquiring the said educational qualification:

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of eligible Trained Dais and Class-IV based on the length of service in the respective grade without disturbing their cadre-wise seniority shall be prepared.

(ii) 01% by promotion from amongst the ANMs subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7 (a) above with three years regular service or regular combined with continuous *ad hoc*, if any, in the grade after acquiring the said educational qualification:

Provided further that for filling up the posts of Ayurvedic Pharmacist the following 100 points post based roster shall be followed:

Roster Point No.	Category
1st & 100th	Category (i)
50th	Category (ii)
2nd to 49th, 51st to 99th	Direct

Note.—As and when the representation by all categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post:

A(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso A(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre:

Explanation-I.—For the purpose of proviso A(I) supra the “term” in Tribal / Difficult areas” shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso A(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis pargana of Kullu District.
6. Bara Bhawal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circle of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation

of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen(Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there- under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in- accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test, physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) Concept.—(a) Under this policy the Ayurvedic Pharmacist, in the Department of Ayurveda, H.P., will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) **Posts falls within the purview of H.P.S.S.C.**—The Director of Ayurveda, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) Contractual Emoluments.—The Ayurvedic Pharmacist, appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 8,910/- per month (which shall be equal to

minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 267/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) Appointing/Disciplinary Authority.—The Director, of Ayurveda H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) Selection Process.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test, or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruitment agency i.e Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) Committee for selection of Contractual Appointments.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) Agreement.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B ” appended to these Rules.

(VII) Terms and Conditions.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 8,910/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 267/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by Medical Officer, as per prevailing instruction of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. The women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.—The appointment to the services shall be subject to orders/ instructions regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Services Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Ayurvedic Pharmacist and the Government of Himachal Pradesh through the Director Ayurveda.

This agreement is made on this -----day of ----- in the year----- between Shri/Smt.-----R/O----- contract appointee (hereinafter called the First Party) AND the Governor, Himachal Pradesh through Director Ayurveda, Himachal Pradesh (herein after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Ayurvedic Pharmacist on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Ayurvedic Pharmacist for a period of one year commencing on -----day of -----and ending on the -----day of ----- It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall post-ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 8,910/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by Medical Officer, as per prevailing instruction of the Government.

6. An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of Women candidate pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled for TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duty at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY HAVE HEREIN TO SET THEIR HANDS THE DAY, MONTH AND YEAR FIRST, ABOVE WRITTEN.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

1. -----

(Name and full address)

(Signature of first party).

2. -----

(Name and full address)

(Signature of first party).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th September, 2016

No.HHC/Admn.6 (20)177-XIX.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to declare 13th **September, 2016** as gazetted holiday on account of Id-ul-Zuha (Bakrid) instead of **12th September, 2016** for the High Court of H.P and subordinate judiciary.

Further, **12th September, 2016** has been declared as non court working day for the High Court and in lieu thereof **22nd October, 2016 (Saturday)** shall be the court working day.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 8th September, 2016

NO.HHC/GAZ/14-52/74-VII.—In the interest of administration, following transfers and postings of the Judicial officers of the cadre of Civil Judges (Junior Division) are hereby ordered with immediate effect:

1. Ms. Shikha Lakhanpal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (4), Mandi is transferred and posted as Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (3), Mandi vice serial No. 2 below.

2. Ms. Anita Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (3), Mandi is Transferred and posted as Civil Judge (Junior Division)-cum- JMIC (4), Mandi vice serial No.1 above.

The cases of respective courts shall also stand transferred accordingly.

**BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH
REGISTRAR GENERAL.**

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated: 06th September, 2016

No.HHC/Estt.3(406)/95-I.—05 days earned leave on and with effect from 05.09.2016 to 09.09.2016, with permission to prefix Sunday on 04.09.2016 and suffix second Saturday, Sunday and Gazetted Holiday commencing from 10.09.2016 to 12.09.2016, is hereby sanctioned, in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated: 27th August, 2016

No.HHC/Estt.3(406)/95-I.—05 days earned leave on and with effect from 29.08.2016 to 02.09.2016, with permission to prefix Sunday falling on 28.08.2016, is hereby sanctioned, in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated: 01st September, 2016

No.HHC/Estt.3(408)/95-I.—05 days earned leave on and with effect from 29.08.2016 to 02.09.2016, with permission to prefix Sunday falling on 28.08.2016, is hereby sanctioned, in favour of Shri Sanjeev Layal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Sanjeev Layal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Sanjeev Layal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd September, 2016

No.HHC/Admn.16 (13)74-VIII.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Sanju Kumari, Sh. Rahul Kashyap, Sh. Harish Kumar, Sh. Ashish Kumar and Sh. Badri Sain Baliyan, Advocates, Shimla as Oath Commissioners at District Courts Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001**NOTIFICATION***Shimla, the 1st September, 2016*

No.HHC/GAZ/ 14-352/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 12 days' earned leave w.e.f. 13.9.2016 to 24.9.2016 with permission to prefix Second Saturday, Sunday and Gazetted holiday falling w.e.f. 10.9.2016 to 12.9.2016 and to suffix Sunday falling on 25.9.2016 in favour of Ms. Shahnaz Ansari, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Paonta Sahib, H.P.

Certified that Ms. Shahnaz Ansari is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shahnaz Ansari would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Paonta Sahib, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001**NOTIFICATION***Shimla, the 2nd September, 2016*

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge (I), Solan, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of District and Sessions Judge, Solan and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" w.e.f. 26.8.2016 to 3.9.2016 or till Sh. S.C. Kainthla returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009**OFFICE ORDER***Shimla-9, the 8th September, 2016*

No. P.F./Secretaries/2016.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority is pleased to grant 2 (Two) days earned leave for 8.9.2016 & 9.9.2016 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Secretary, District Legal Services Authority, Solan & Sirmaur at Solan.

Certified that Shri Sidharth Sarpal will join the same post and at the same station from where he proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Solan & Sirmaur, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Executive Chairman,
H.P. State Legal Services Authority,
Shimla-171 009.

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)E(3)- 275/2015 dated 6th September, 2016 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 6th September, 2016

No. Home(A)E(3)-275/2015.—In partial modification of this department's notification No. Home(A)A(1)-3/2005-I dated 17.4.2015 as published in the Rajpatra (e-Gazette) on 27-4-2015 and in exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. 3 from the local area of the Police Station/ Post mentioned in Column No. 4 to the local area of the Police Station/Post mentioned in Column No. 5 of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Gram Panchayat	Name of villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2	Police Station/ Chowki from which transferred by this Notification	Police Station in which hereinafter included
1	2	3	4	5
1	Gram Panchayat, Balugloa.	1. Balugloa. 2. Gaglu. 3. Khapparnala. 4. Bari.	Police Post Baroh under Police Station Nagrota Bagwan.	Police Post Ranital under Police Station Haripur.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Home).

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 सितम्बर, 2016

संख्या: गृह(ए)ई(3)-275/2015.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र (ई-गजट) में तारीख 27 अप्रैल, 2015 को यथा प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या गृह (ए)ए(1)-3/2005-1 तारीख 17-4-2015 के आंशिक उपांतरण में और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्या: 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या: 4 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्रों से स्तम्भ संख्या: 5 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्रों के लिए अन्तरित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	स्तम्भ संख्या: 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम	पुलिस थाना/चौकी जिससे, इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए जाते हैं	पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित होंगे
1	2	3	4	5
1	ग्राम पंचायत बालूगलोआ	1. बालूगलोआ 2. गगलू 3. खपरनाला 4. बाड़ी	पुलिस थाना नगरोटा बगवां के अन्तर्गत पुलिस चौकी बड़ोह।	पुलिस थाना हरिपुर के अन्तर्गत पुलिस चौकी, रानीताल।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (गृह)।

ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा

जनक राज

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

जनक राज पुत्र श्री वहेखी राम, निवासी उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र पंकज कुमार की जन्म तिथि 09-03-2005 है परन्तु ग्राम पंचायत रजोल में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंकज कुमार की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी

अदालत में दिनांक 30-9-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कोटला।

**In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H. P.**

1. Shri Chandan Kumar s/o Shri Prem Chand, r/o Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
2. Smt. Namita Chaudhary d/o Shri Kuldeep Kumar, r/o Dhaloon, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra.

Versus

1. The General Public
2. Secretary, G.P. Dari
3. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 along with an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 08-02-2015 at Dari but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages *i.e.* Secretary, G.P. Dari/Municipal Corporation Dharamshala

And whereas, they have also state that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 30-09-2016 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed *ex parte* against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 31st day of August, 2016.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala.

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा : दरुस्ती

श्री रंजन डोगरा पुत्र श्री प्रकाश देव पुत्र गंगा राम, निवासी 333 सिविल बाजार, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री रंजन डोगरा पुत्र श्री प्रकाश देव पुत्र गंगा राम, निवासी 333 सिविल बाजार, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम रंजन डोगरा पुत्र प्रकाश देव है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल सिद्धपुर, मौजा घन्यारा में उसका नाम रजत डोगरा दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल सिद्धपुर मौजा घन्यारा में रंजन डोगरा पुत्र प्रकाश देव दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-9-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 14-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा : दरुस्ती

श्री रंजन डोगरा पुत्र श्री प्रकाश देव पुत्र गंगा राम, निवासी 333 सिविल बाजार, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री रंजन डोगरा पुत्र श्री प्रकाश देव पुत्र गंगा राम, निवासी 333 सिविल बाजार, धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम रंजन डोगरा पुत्र प्रकाश देव है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल होडल, मौजा घन्यारा में उसका नाम राजन डोगरा दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल होडल, मौजा घन्यारा में रंजन डोगरा पुत्र प्रकाश देव दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-9-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे

पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 14-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तारीख दायर : 1-9-2016

तारीख पेशी : 23-10-2016

श्री जगदेव राज सपुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव भरमाड़, मौजा भरमाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के महाल भरमाड़ में जगदेव राज दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम जगजीवन सिंह पुत्र जगत राम दर्ज चला आ रहा है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में जगदेव राज के बजाए श्री जगदेव राज उर्फ जगजीवन सिंह पुत्र जगत राम दर्ज किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-10-2016 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-9-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 17/2016

तारीख मजरुआ : 11-07-2016

तारीख पेशी : 21-09-2016

सुमन पुत्री श्री मेला राम, निवासी गांव व डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

.. प्रार्थी।

बनाम

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

सुमन पुत्री श्री मेला राम, निवासी गांव व डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के आवेदन पत्र पर कार्रवाई करने के उपरान्त अति० जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्या: HFW (MND) (Birth & Death)/ 2015-5540, दिनांक 10-12-2015 द्वारा सुमन पुत्री श्री मेला राम, निवासी गांव व डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का विलम्बित जन्म पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित तहसीलदार सरकाघाट, जिला मण्डी के माध्यम से उनके कार्यालय के पत्र संख्या 618, दिनांक 16-06-2016 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा सुमन पुत्री श्री मेला राम, निवासी गांव व डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का जन्म दिनांक 14-09-1969 को होने की पुष्टि करते हुए जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978 के तहत अनुमति प्रदान करते हुए निर्देश दिए हैं कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही सम्बन्धित इकाई (ग्राम पंचायत सन्धोल) को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम एवं जन्म तिथि की प्रविष्टि करने हेतु भेजा जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21-09-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर सम्बन्धित पंचायत को जन्म तिथि की प्रविष्टि करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-08-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

प्रकाश चन्द धामी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 18/2016

तारीख मजरूआ : 26-07-2016

तारीख पेशी : 21-09-2016

श्री जगदीप कुमार पुत्र श्री जुध्या लाल उर्फ अयुध्या लाल, निवासी गांव देवगढ़, डाकखाना चोलंगढ़, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्राथी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्री जगदीप कुमार पुत्र श्री जुध्या लाल उर्फ अयुध्या लाल, निवासी गांव देवगढ़, डाकखाना चोलंगढ़, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम जगदीप कुमार है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल देवगढ़ में उसका नाम जगदीश कुमार दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल देवगढ़ में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम जगदीश कुमार उर्फ जगदीप कुमार दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21-09-2016 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-07-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

प्रकाश चन्द धामी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नम्बर : 20/2016

तारीख मजरूआ : 30-08-2016

तारीख पेशी : 30-09-2016

श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व0 श्री दीपक कुमार उर्फ दीपक ठाकुर, निवासी गांव निचली बैरी,
डाकखाना कोठुआ, जिला मण्डी (हि0 प्र0) प्राथी।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम।

अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व0 श्री दीपक कुमार उर्फ दीपक ठाकुर, निवासी गांव निचली बैरी, डाकखाना कोठुआ, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पति का वास्तविक नाम दीपक कुमार उर्फ दीपक ठाकुर है जबकि राजस्व अभिलेख मुहाल बैरी निचली में उनका नाम दीप कुमार दर्ज है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख मुहाल बैरी निचली में दुरुस्ती की जाकर उसका नाम दीप कुमार उर्फ दीपक कुमार उर्फ दीपक ठाकुर दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्यवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 30-09-2016 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-08-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

प्रकाश चन्द धामी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

तारीख पेशी : 24-09-2016

1. श्री हेत राम, 2. यशपाल, 3. अमर चन्द, 4. हेम राज, 5. अमरनाथ, 6. ओंकार, 7. रुप लाल पुत्रगण श्री पूर्ण चन्द, निवासी पीपली, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बराए पंजीकरण वसीयत नामा जेर धारा 40, 41 अधिनियम, 1938 के अन्तर्गत।

श्री हेत राम, यशपाल, अमर चन्द, हेम राज, अमरनाथ, ओंकार व रुप लाल पुत्रगण श्री पूर्ण चन्द, निवासी पीपली, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्बन्धित वसीयत जो श्रीमती सोमा देवी विधवा स्वर्गीय श्री ध्यानू राम, निवासी तुलाह, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने हमारे नाम कर रखी है व अभी तक पंजीकृत न हुई है जिसे पंजीकृत करने के आदेश पारित किये जावें।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 24-09-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करें अन्यथा गैरहाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-8-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-पंजीकाध्यक्ष,
जोगिन्द्रनगर, हि0 प्र0।

**In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Mohit Sharma s/o Shri Shyam Lal Sharma, r/o House No.75/9, Devi Nagar, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Surbhi Bhardwaj d/o Shri Yaspal Bhardwaj, r/o Flat No. 3, Block A, Prospect Hill Boileauganj, Shimla Urban Summerhill, Shimla, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Mohit Sharma s/o Shri Shyam Lal Sharma, r/o House No.75/9, Devi Nagar, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Surbhi Bhardwaj d/o Shri Yaspal Bhardwaj, r/o Flat No. 3, Block A, Prospect Hill Boileauganj, Shimla Urban Summerhill, Shimla, H.P. has presented before the undersigned on dated 24-08-2016 for registration of their marriage solemnized between them on 05-11-2015 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 05-11-2015 of Shri Mohit Sharma s/o Shri Shyam Lal Sharma, r/o House No.75/9, Devi Nagar, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Surbhi Bhardwaj d/o Shri Yaspal Bhardwaj, r/o Flat No. 3, Block A, Prospect Hill Boileauganj, Shimla Urban Summerhill, Shimla, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 24-08-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P..

ब अदालत श्री हरि सिंह राणा, हि0प्र0से0, अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना0)
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री बैशाखी राम पुत्र प्रकाश, निवासी बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत धौलाकुआं, तहसील पांवटा साहिब
2. आम जनता।

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

जैसा कि श्री बैशाखी राम पुत्र प्रकाश, निवासी बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती सुदेश कमारी पुत्री गुरुमुख सिंह, निवासी ग्राम भगानी, तहसील पांवटा साहिब के साथ दिनांक 09-06-2014 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारिकपुर, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में श्री बैशाखी राम पुत्र प्रकाश, निवासी बेहडेवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के विवाह के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 22-09-2016 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हरि सिंह राणा (हि0प्र0),
अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0),
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Ramnik Goyal s/o Shri Gian Chand Goyal, r/o Ward No. 2, Yamuna Vihar Badripur, Paonta, District Sirmaur, H.P. and Pooja Garg d/o Shri Ishwar Chand Garg, r/o 442 Krishna Street near New Market, Yamuna Nagar Hry.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Ramnik Goyal s/o Shri Gian Chand Goyal, r/o Ward No. 2, Yamuna Vihar Badripur, Paonta, District Sirmaur, H.P. and Pooja Garg d/o Shri Ishwar Chand Garg, r/o 442 Krishna Street near New Market, Yamuna Nagar Hry. before the undersigned on dated 23-8-2016 for registration of their marriage solemnized between them on 19-04-2000 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 19-04-2000 of Shri Ramnik Goyal s/o Shri Gian Chand Goyal, r/o Ward No. 2, Yamuna Vihar Badripur, Paonta, District Sirmaur, H.P. and Pooja Garg d/o Shri Ishwar Chand Garg, r/o 442 Krishna Street near New Market, Yamuna Nagar Hry. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 23-08-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

**In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Sanjay Singh s/o Shri Dheeraj Singh, r/o VPO Jameli, Tehsil Landsdowne, District Pauri Garhwal and Pooja Kumari d/o Shri Natha Singh, r/o H. No. 50, Ward No. 8, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Sanjay Singh s/o Shri Dheeraj Singh, r/o VPO Jameli, Tehsil Landsdowne, District Pauri Garhwal and Pooja Kumari d/o Shri Natha Singh, r/o H. No. 50, Ward No. 8, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. before the undersigned on dated 22-8-2016 for registration of their marriage solemnized between them on 17-08-2016 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 17-08-2016 of Shri Sanjay Singh s/o Shri Dheeraj Singh, r/o VPO Jameli, Tehsil Landsdowne, District Pauri Garhwal and Pooja Kumari d/o Shri Natha Singh, r/o H. No. 50, Ward No. 8, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 23-08-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS),
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.*

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम।

श्री मुनीष भारद्वाज

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मुनीष भारद्वाज पुत्र श्री प्रेम पाल भारद्वाज, निवासी ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र सार्थक भारद्वाज का जन्म गांव बडैहर में दिनांक 20-07-2013 को

हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-08-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम।

डा0 शाम लाल समनोल

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

डा0 शाम लाल समनोल पुत्र श्री परमेश्वरी दास, निवासी ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसकी माता श्रीमती जसवन्ती देवी उपनाम जसवन्त कौर की मृत्यु ऊना वार्ड नम्बर 7 में दिनांक 21-01-1995 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-09-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-08-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़,
जिला ऊना (हि0प्र0)

(नोटिस जेरे धारा 5 नियम 20 सी0पी0सी0)

नोटिस बनाम : आम जनता

श्री मेहर चन्द पुत्र श्री अर्जुन लाल

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मेहर चन्द पुत्र श्री अर्जुन लाल, निवासी कुठारवीत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसका जन्म गांव व डा0 कुठारवीत में दिनांक 28-10-1972 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असातन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
दुलैहड़, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

किस्म मुकद्दमा : पंजीकरण शादी हेपी पुत्र वच्चर सिंह, वासी नंगल कला व भवना देवी पुत्री गुरदियाल सिंह,
वासी गज्जर मदूद, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर वादी

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

प्रार्थना-पत्र पंजीकरण शादी Under Section 8(4) हि0 प्र0 विवाह अधिनियम, 1996.

आदेश

प्रार्थना पत्र पंजीकरण शादी हेपी पुत्र वचित्र सिंह, वासी नंगल कला व भवना देवी पुत्री गुरदियाल सिंह, वासी गज्जर मदूद, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर ने आवेदन पत्र पंजीकरण शादी प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज अनुसार गांव नंगल कला में दिनांक 5-11-2015 को सम्पन्न हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उनकी शादी सम्बन्धित ग्राम पंचायत नंगल कला के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उचित आदेश पारित किये जावे।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विवाह का पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी 23-9-2016 तक अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में

न्यायालय द्वारा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण बारे उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद में प्राप्त कोई उजर काबले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0

नन्द लाल

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वचित्र सिंह पुत्र फकीर चन्द वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसकी माता श्रीमती मुक्त्यारी देवी की मृत्यु दिनांक 2-12-2010 को गांव नंगल कलां में हुई है लेकिन उसकी मृत्यु की तिथि ग्राम पंचायत नंगल कलां के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-9-2016 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत गोन्दपुर जयचन्द को आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0

नन्द लाल

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नन्द लाल पुत्र जय राम, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र प्रदीप कुमार का जन्म दिनांक 20-08-1995 को गांव नंगल कलां में हुआ है लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत नंगल कलां के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-9-2016 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत गोन्दपुर जयचन्द को आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

